

LIST OF PAC PARAS

S.No.	YEAR & PARA NO.	PARA DETAILS
1	Para No. 10.7 of CAG Report No. 11 of 2016	Avoidable Expenditure in construction of 1st and 2nd floor on design centre
2	Para No. 13.4 of CAG Report No. 12 of 2017	Irregularities in Works Contract and Estate Management

LIST OF CAG PARAS TILL 2019-20

S.No.	YEAR	PARA NO.	PARA DETAILS
1	2000-01	PARA-7 PART II-B	Non-recovery of Pay & Allowances of Rs. 2.43 lakh from Sh. O.P. Verma Ex-Lecturer
2	2003-04	PARA - 3 PART II-A	Unauthorized payment of Rs. 51.77 lakh on account of pay fixation arrears
3	2003-04	PARA - 5 PART II-A	Irregular payment of HRA Rs. 11.98 lakh & loss of quarter rent Rs. 1.90 lakh due to non-allotment of quarters.
4	2003-04	PARA - 6 PART II-A	Irregular payment of salary and allowance due to non receipt of Ph.D. under QIP Rs. 5.63 lakh
5	2003-04	PARA - 1 PART II-B	Non-recovery of grant from Govt. of Rajasthan Rs. 87.39 lakh
6	2003-04	PARA - 2 PART II-B	Unfruitful expenditure of Rs. 554.18 lakh on U.K. REC project
7	2003-04	PARA - 5 PART II-B	Unauthorized expenditure of Rs. 14.17 lakh, Non-recovery of advance of Rs. 8.91 lakh
8	2003-04	PARA - 7 PART II-B	Non-recovery of water charges from work executing agencies for Rs. 9.17 lakh

9	2003-04	PARA 14 PART II- B	Irregular payment of salary amounting to Rs. 1.21 lakh
10	2003-04	PARA 15 PART II- B	Irregular payment of conveyance charges under ITTC Rs. 0.86 lakh
11	2003-04	PARA 17 PART II- B	Non revision of license fee of quarters as per FRSR and non revocery of additional license fee of Rs. 1.19 lakh for additional work.
12	2003-04	PARA 18 PART II- B	Granting of LTC of any palce in India without having complete block of 4 year . Irregular payment of Rs. 4.64 Lakh.
13	2003-04	PARA 20 PART II- B	Non conducting of Physical Verification of store net value Rs. 839.76 lakh
14	2003-04	PARA 26B PART II- B	Release of grant under various scheme to autonomous institutions.
15	2004-05	PARA - 5 PART II - B	Non recovery of penalty on delay in commissioning on sewerage treatment plant Rs. 1.44 lakh
16	2004-05	PARA - 12 PART II - B	Non - utilisation / refund of unspent amount of grant received for various project Rs. 73.40 lakh
17	2004-05	PARA - 15 PART II - B	Irregular benefit of Rs. 13275/- in Basic pay on fixation in Selection Scale to Sh. Taj Mohamad, Plumber
18	2005-06	PARA 8 PART II-B	Under receipt of interest from the bank Rs. 2.85 Lakh
19	2005-06	PARA 14 PART II-B	Non-recovery of building rent, electricity and water charges from tenants Rs. 2.62 lakh.
20	2006-07	PARA 1 PART II -B	Non utilization of grants received for various projects - Rs. 230.59 lakhs

21	2006-07	PARA 17 PART II -B	Irregular payment of LTC claims Rs. 0.72 lakh and non-recovery of outstanding LTC advance Rs. 1.60 lakh
22	2007-08	PARA 2 PART II -B	Non utilization of projects grants – Resulting into Blocks of funds Rs. 86.52 lakh
23	2007-08	PARA 10 PART II -B	Irregular retention of quarters beyond permissible limit and non recovery of rent/license fees as per norms
24	2007-08	PARA 15 PART II -B	Under recovery of liquidated damages / penalty charges Rs. 35379/-
25	2007-08	PARA 19 PART II -B	Irregular payment of scholarship of Rs. 4.50 lakh received under central sector scholarship scheme of top class education for S.C. students
26	2007-08	PARA 20 PART II -B	Irregular purchases of software fluent (version) Rs. 6.76 lakh and not obtaining custom duty exemption on the purchase
27	2007-08	PARA 24 PART II -B	Purchase made without recommendation of purchase committee resulting irregular payment of Rs. 0.71 lakh.
28	2008-09	अनु.सं. 2 भाग आ 'ख'	प्रावधानों के विपरीत द्वितीय न्यूनतम निविदादाता से नेशनल इशेशन कर कार्य की अनियमित स्वीकृति राशि रु. 5.51 लाख।
29	2008-09	अनु.सं. 3 भाग आ 'ख'	संवेदक द्वारा कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं करने पर क्षतिपूर्ति की राशि की वसूली एवं अन्य कटौतियां नहीं किया जाना राशि रु. 3.22 लाख।
30	2008-09	अनु.सं. 7 भाग आ 'ख'	कस्टम ड्यूटी का अनियमित भुगतान राशि रु. 1.36 लाख।
31	2008-09	अनु.सं. 8 भाग आ 'ख'	ठेकेदार फर्म से क्षतिपूर्ति राशि वसूल नहीं करना राशि रु. 2.25 लाख।
32	2008-09	अनु.सं. 9 भाग आ 'ख'	निविदा आमंत्रित किये बिना वास्तुविद को नियुक्त करना एवं भुगतान का सत्यापन नहीं होना।

33	2009-10	अनु.सं. 2 भाग आ 'ब'	रिसर्च परियोजना हेतु प्राप्त अनुदान राशि का उपयोग नहीं करना राशि रु. 70.40 लाख।
34	2009-10	अनु.सं. 5 भाग आ 'ब'	उपकरणों की अनियमित खरीद राशि रु. 23.08 लाख।
35	2009-10	अनु.सं.11 भाग आ 'ब'	कस्टम ड्यूटी का अनियमित भुगतान राशि रु. 1.43 लाख।
36	2009-10	अनु.सं.14 भाग आ 'ब'	संस्थान से स्वामित्व वाली भूमि का सत्यापन नहीं होना।
37	2009-10	अनु.सं.16 भाग आ 'ब'	संस्थान को उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा काली सूची में डालना।
38	2010-11	अनु.सं. 2 भाग आ 'अ'	कंसलटेसी पर अनियमित एवं परिहार्य व्यय राशि रु. 137.90 लाख।
39	2010-11	अनु.सं. 3 भाग आ 'अ'	छात्रों को शिक्षण शुल्क जमा कराने में अनियमित रूप से छूट प्रदान कर राशि रु. 52.15 लाख का अनियमित भुगतान।
40	2010-11	अनु.सं. 4 भाग आ 'ब'	संस्थान में प्रबन्धकीय सूचना तंत्र स्थापित करने पर निष्फल व्यय राशि रु. 74.86 लाख।
41	2010-11	अनु.सं. 5 भाग आ 'ब'	होस्टल फर्नीचर खरीद में अतिरिक्त व्यय राशि रु. 12.60 लाख।
42	2010-11	अनु.सं. 8 भाग आ 'ब'	छत के पंखों को अनियमित रूप से अपलिखित करना राशि 3.49 लाख।
43	2011-12	अनु.सं. 3 भाग आ 'ब'	छात्रों से प्राप्त कॉशन मनी को छात्रों द्वारा अन्तिम रूप से संस्थान छोड़ने के उपरान्त भी छात्र कल्याण निधि में हस्तान्तरित नहीं करना।
44	2011-12	अनु.सं. 6 भाग आ 'ब'	सोलर वाटर हीटर के लिए राजस्थान रिंयूवेबल इनर्जी कोरपोरेशन लिमिटेड से अनुदान प्राप्ति का अभाव।

45	2011-12	अनु.सं. 7 भाग आ 'ब'	रोड रिकारपेटिंग कार्य में अनियमितता, राशि रु. 6.00 लाख।
46	2011-12	अनु.सं. 9 भाग आ 'ब'	कम्प्यूटर कन्ट्रोलड साइक्लोकनवर्टर (हाफ व फुल वेब) फेड केज इन्डकशन मोटर ड्राईव परियोजना पर किया गया निष्फल व्यय राशि रु 3.73 लाख।
47	2012-13	अनु.सं. 1 भाग आ 'अ'	डिपोजिट वर्क के लिये अपात्र मै. आवास विकास लिमिटेड को बिना निविदा आमंत्रित किये डिजाइन सेन्टर की पहली एवं दूसरी मंजिल निर्माण कार्य करवाने से राशि रूपये 150.00 लाख की हानि एवं गता अधिगमनां।
48	2012-13	अनु.सं. 2 भाग आ 'अ'	विज्ञापन के लिए विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निर्देशालय (डीएवीपी) की दर से अधिक दर पर भुगतान करने से परिहार्य व्यय राशि रूपये 8783500/-
49	2012-13	अनु.सं. 3 भाग आ 'अ'	स्टॉफ क्वार्टर्स में निवासी अनाधिकृत कब्जा धारियों से डेमेज शुल्क की वसूली का अभाव राशि रूपये 46.79 लाख एवं लाईसेंस फीस की कम वसूली राशि रूपये 6.40 लाख कुल राशि रूपये 53.19 लाख की कम वसूली।
50	2012-13	अनु.सं. 4 भाग आ 'अ'	वित मंत्रालय द्वारा मितव्यतिता के उपायों पर जारी दिशा निर्देशों के विपरीत वाहनों का अनियमित क्य राशि रु. 61.53 लाख।
51	2012-13	अनु.सं. 2 भाग आ 'ब'	नव निर्मित छात्रावास (छात्र एवं छात्राएं) में लिफ्ट स्थापित करने में अनियमित भुगतान राशि रूपये 141.30 लाख।
52	2012-13	अनु.सं.10 भाग आ 'ब'	उत्पाद शुल्क में छूट का लाभ लिये बिना लैब उपकरण खरीद से हानि रु. 0.54 लाख
53	2013-14	अनु.सं. 1 भाग आ 'ब'	संस्थान के कर्मियों को मानदेय / शुल्क का अनियमित भुगतान राशि 3.06 करोड़ रूपये।
54	2013-14	अनु.सं. 2 भाग आ 'ब'	खुली विज्ञापन निविदायें आमंत्रण किये बिना फर्नीचर की अनियमित खरीद राशि रु. 1.61 करोड़।
55	2013-14	अनु.सं. 4 भाग आ 'ब'	कस्टम ड्यूटी छूट के प्रमाण पत्र होने पर कस्टम ड्यूटी का अनावश्यक भुगतान राशि 42.75 लाख रु।
56	2013-14	अनु.सं. 5 भाग आ 'ब'	सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के संस्थापन में निष्फल व्यय राशि 14.35 लाख रु.तथा अनियमित व्यय राशि 24.85 लाख रु।

57	2013-14	अनु.सं. 6 भाग आ 'ब'	अनुदानों का विपथन (Diversion of grant) राशि रु. 26.34 लाख।
58	2013-14	अनु.सं. 8 भाग आ 'ब'	वेतन भत्तों की अवितरित राशि के समायोजन का अभाव राशि 8.31 लाख।
59	2013-14	अनु.सं. 9 भाग आ 'ब'	लाईसेंस फीस की कटौती कम करना राशि रु. 5,83,867/-
60	2013-14	अनु.सं.10 भाग आ 'ब'	खरीद की गई सामग्री की देरी से आपूर्ति होने पर एल.डी. राशि की कटौती का अभाव, राशि रु. 2.93 लाख।
61	2013-14	अनु.सं.11 भाग आ 'ब'	परिवहन भत्ते का नियम विरुद्ध भुगतान राशि रु. 23264/-
62	2014-15	अनु.सं. 1 भाग आ 'अ'	सेवा कर का अनियमित भुगतान राशि रु. 55.22/-
63	2014-15	अनु.सं. 1 भाग आ 'ब'	खुली विज्ञापन निविदायें आमंत्रण किये बिना फर्नीचर का अनियमित खरीद राशि रु. 2.25 करोड़।
64	2014-15	अनु.सं. 2 भाग आ 'ब'	प्रायोजित प्रोजैक्ट्स संचालित कार्यक्रमों पर तथा सरकार से प्राप्त अनुदान राशि से विगत वर्षों में किये गये अधिक खर्च राशि 3,10,31,032 की वसूली का अभाव तथा बकाया पर ब्याज की हानि राशि रूपये 53.06 लाख।
65	2014-15	अनु.सं. 3 भाग आ 'ब'	VMWARE प्रोडक्ट्स की आपूर्ति के विरुद्ध राशि 6.81 लाख का अधिक भुगतान।
66	2014-15	अनु.सं. 8 भाग आ 'ब'	निर्धारित प्रक्रियानुसार पूरक संविदा किये बिना प्रोफेशनल एच.आर. सर्विसेज प्रा. लि., जयपुर को आउटसोर्सिंग सेवाओं पर अनियमित व्यय राशि रु. 8,59,99,036/-
67	2015-16	अनु.सं. 4 भाग आ 'ब'	परियोजना हेतु प्राप्त राशि के उपयोग का अभाव राशि रु. 4.47 करोड़।

68	2016-17	अनुसं. 1 भाग ा 'अ'	एम.एन.आई.टी. परिसर में कैन्टीन संचालन हेतु कैल्टीन संचालक को निशुल्क स्थान व निशुल्क बिजली पानी उपलब्ध कराकर अदेय लाभ दिया जाना, राशि रूपये 64,13, 288
69	2016-17	अनुसं. 1 भाग ा 'ब'	सीपीडब्ल्यूडी से डिपोजिट वर्क के तहत कराये गए कार्यों के पूर्ण व अंतिम बिल का भुगतान होने के उपरांत भी वास्तविक व्यय से अधिक जारी की गई की राशि की वसुली का अभाव राशि रूपये 95.92 लाख ।
70	2016-17	अनुसं. 2 भाग ा 'ब'	Procurement of Blade Server and SAN Storage Solution के अन्तर्गत सामग्री आपूर्ति में विलम्ब हेतु देय एल.डी. आरोपण का अभाव, राशि रूपये 18,42,750/-
71	2016-17	अनुसं. 3 भाग ा 'ब'	सोलिड गैस रिएक्टर राशि रूपये 53,61,134 की खरीद मे में पाई गई अनियमितताएं ।
72	2016-17	अनुसं. 5 भाग ा 'ब'	राशि रु 25 लाख से अधिक की निविदाओं के उचित प्रचार-प्रसार का अभाव, परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्द्धात्मक दरों के लाभों से वंचित रहना ।
73	2016-17	अनुसं. 7 भाग ा 'ब'	(अ) अग्रिमों के समायोजन का अभाव राशि रु. 50.72 लाख । (ब) अग्रिमों के समायोजन का अभाव राशि रु. 1,75,370/-
74	2016-17	अनुसं. 8 भाग ा 'ब'	दीर्घकाल से जमा धरोहर राशि एवं प्रतिभूति जमा राशियें को सरकारी राजस्व खाते मे जमा कराने / समायोजन का अभाव 19.73 लाख ।
75	2016-17	अनुसं. 9 भाग ा 'ब'	तुलन पत्र के Schedule-8 Loans Advances &Deposits मे अंतर राशि रु. 02.64 लाख ।
76	2017-18	PARA NO. 1 PART- IIA	Loss of revenue due to irregular waiver of tuition fee Rs. 10.67 crore. Malaviya National Institute of Technology, Jaipur
77	2017-18	अनुच्छेद 2 Part- IIA	Servo Hydraulic system की खरीद के डेढ वर्ष पश्चात भी स्थापित नहीं किया जाना ।
78	2017-18	अनुच्छेद 3भाग ा ब	संस्थान द्वारा विद्युत बिलों में विद्युत शुल्क, जल प्रभार, नगरीय उपकर पर परिहार्य व्यय ।

79	2017-18	अनुच्छेद 4भाग आ ब	आयगत अग्रिमों के समायोजन का अभाव।
80	2017-18	अनुच्छेद 5भाग आ ब	प्रोजेक्ट Indo-US CBERD es Grant-in-Aid की प्राप्त राशि मेसे ब्याज की राशि रु0 0.18 लाख का अनियमित डायवर्जन एवं वर्ष 2017–18 के लेखों में अन्य दायित्वों के निपटान का अभाव।
81	2017-18	अनुच्छेद 7 भाग आ ब	वेतन निर्धारण विसंगतियों के संबंध में। क. श्री जयनारायण, उप कुलसचिव को अधिक भुगतान राशि रु 1.12 लाख। ख. डॉक्टर रीतु सिंह का बिना पूर्व के कार्यालय में वेतन निर्धारण के संस्थान में वेतन निर्धारण करना।
82	2018-19	अनुच्छेद 1 भाग आ ब	मूल उद्देश्य की प्राप्ति के अभाव में निष्क्रिय प्रोजेक्ट पर राशि रु.500.58 लाख का संस्थान द्वारा व्यय किया जाना।
83	2018-19	अनुच्छेद 3 भाग आ ब	संस्थान के शैक्षणिक एवं अन्य कार्मिकों को मानदेय/ शुल्क का अनियमित भुगतान राशि रु.1635.64 लाख
84	2018-19	अनुच्छेद 6 भाग आ ब	स्टॉफ क्वार्टर्स मे निवास कर रहे कार्मिकों से लाइसेन्स फीस की कम वसूली राशि रु. 4.30 लाख।
85	2018-19	अनुच्छेद 7 भाग आ ब	संवेदक को किये गये भुगतान वाउचरों से जी.एस.टी. के तहत टी.डी.एस. कटौती का अभाव राशि रु. 0.77 लाख।
86	2018-19	अनुच्छेद 8 भाग आ ब	सामान्य वित्तीय नियमों की पालना का अभाव एवं निर्माण कार्यों को अनियमित रूप से टुकड़ों में करवाया जाना।
87	2018-19	अनुच्छेद 9 भाग आ ब	फर्म मैसर्स एच.आर. सर्विस प्राइवेट लि. का लेबर लाइसेंस Expire होने के उपरांत भी ठेका जारी रख कर अनियमित भुगतान राशि रु.54.22 लाख।
88	2018-19	अनुच्छेद 10 भाग आ ब	गेस्ट हाउस में ठहरने वाले व्यक्तियों से किराये की राशि वसूलने का अभाव।
89	2019-20	अनुच्छेद 1 भाग आ ब	Higher Education Funding Agency द्वारा स्वीकृत कार्य Construction of Boys Hostel हेतु संस्था की निधि से अग्रिम राशि रु 3.70 करोड का अनियमित भुगतान व 30 माह व्यतीत होने के उपरांत भी कार्यारम्भ का अभाव।

90	2019-20	अनुच्छेद 2 भाग आ ब	Higher Education Funding Agency द्वारा स्वीकृत कार्य Erection of Two 33/11 KV Sub-station and underground H.T. Cabling for MNIT Jaipur हेतु संस्थान की निधि से अग्रिम राशि रु 62 लाख का अनियमित भुगतान ।
91	2019-20	अनुच्छेद 3 भाग आ ब	बैंको में खोले गये बचत खातों को फलैक्सी बचत खाते में परिवर्तित न करने से ब्याज की हानि रु 26.77 लाख
92	2019-20	अनुच्छेद 4 भाग आ ब	एजेन्सी को जारी किये गये पूँजीगत अग्रिमों के लम्बे समय से समायोजन का अभाव राशि रु 73.87 लाख
93	2019-20	अनुच्छेद 5 भाग आ ब	अन्य दायित्व शीर्ष में लम्बे समय से ऋण एवं योजनाओं की बचत राशि को लौटाने के अभाव में अनावश्यक दायित्व सृजन करना राशि रु 62.92 लाख
94	2019-20	अनुच्छेद 6 भाग आ ब	संस्थान के स्वीकृत पदों की तुलना में कार्यरत स्टाफ की कमी के कारण शैक्षणिक कार्य की गुणवत्ता एवं प्रशासनिक कार्य की कार्यक्षमता का प्रभावित होना।
95	2019-20	अनुच्छेद 7 भाग आ ब	वार्षिक लेखों में रु 20.12 लाख के देनदार की मद का रु 10.21 लाख के दायित्व के रूप में दर्ज करना।
96	2019-20	अनुच्छेद 8 भाग आ ब	बयाना जमा राशि (EMD) एवं सुरक्षित जमा (SD) को जब्त किया जाकर सरकारी खाते/समेकित निधि अथवा संस्था के कॉरपस फण्ड में जमा कराने का अभाव राशि रु 361.95 लाख
97	2019-20	अनुच्छेद 9 भाग आ ब	अस्थाई अग्रिम राशि की वसूली/समायोजन का अभाव राशि रु 2.06 लाख
98	2019-20	अनुच्छेद 10 भाग आ ब	अन्य दायित्व शीर्ष में लम्बे समय से ऋण राशि रु 700.00 लाख का दर्शाया जाना
99	2019-20	अनुच्छेद 11 भाग आ ब	यात्रा भत्ता बिलों के दावों को निर्धारित समय के पश्चात स्वीकार कर अनियमित भुगतान किया जाना राशिरु 50,721/-